



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

27 वैशाख 1945 (श०)
(सं० पटना 412) पटना, बुधवार, 17 मई 2023

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना
17 मई 2023

एस० ओ० 130 दिनांक 17 मई 2023—बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (बिहार अधिनियम - 12, 2017) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है), बिहार राज्यपाल परिषद की सिफारिशों पर, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिनका रजिस्ट्रीकरण उक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के खंड (ख) या खंड (ग) के अधीन 31 दिसंबर, 2022 को या उससे पहले रद्द किया गया है और जो उक्त अधिनियम की धारा 30 में विनिर्दिष्ट परिसीमा के भीतर ऐसे रद्दकरण के प्रति संहरण के लिए आवेदन करने में असफल रहे हैं, को रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के प्रवर्ग के रूप में अधिसूचित करते हैं जो ऐसे रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के प्रतिसंहरण के संबंध में निम्नलिखित विशेष प्रक्रिया का पालन करेंगे, अर्थात् :-

(क) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, 30 जून, 2023 तक ऐसे रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के प्रति संहरण के लिए आवेदन कर सकेंगे;

(ख) प्रति संहरण के लिए आवेदन, रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण की प्रभावी तारीख तक देय विवरणी प्रस्तुत करने और ऐसी विवरणी के निबंधनों के अनुसार कर के रूप में देय रकम का, ब्याज, शास्ति और ऐसी विवरणी के संबंध में विलंब फीस के लिए संदेय रकम सहित, संदाय करने के पश्चात ही फाइल किया जाएगा;

(ग) रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के प्रतिसंहरण के लिए आवेदन प्रस्तुत करने के लिए ऐसे मामलों में और परिसीमा विस्तार, उपलब्ध नहीं होगा।

स्पष्टीकरण—इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, व्यक्ति, जो उक्त अधिनियम की धारा 30 में विनिर्दिष्ट परिसीमा के भीतर रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के प्रतिसंहरण के लिए आवेदन करने में असफल रहता है, इसके अंतर्गत ऐसा व्यक्ति भी सम्मिलित है, जिसकी रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के आदेश या उक्त अधिनियम की धारा 107 के अधीन रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के प्रतिसंहरण के लिए आवेदन खारिज करने के आदेश के विरुद्ध अपील उक्त अधिनियम की धारा 30 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट परिसीमा का पालन करने में असफल रहने के आधार पर खारिज की गई है।

[(सं०सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड- 12)1580)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
डॉ० प्रतिमा,
राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

17 मई 2023

एस० ओ० 130 दिनांक 17 मई 2023 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं०सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड- 12)1580)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
डॉ० प्रतिमा,
राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

The 17th May 2023

S.O. 130 Date 17 May 2023- In exercise of the powers conferred by section 148 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (Bihar Act 12, 2017) (hereinafter referred to as the said Act), the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, hereby notifies that the registered person, whose registration has been cancelled under clause (b) or clause (c) of sub-section (2) of section 29 of the said Act on or before the 31st day of December, 2022, and who has failed to apply for revocation of cancellation of such registration within the time period specified in section 30 of the said Act as the class of registered persons who shall follow the following special procedure in respect of revocation of cancellation of such registration, namely:—

(a) the registered person may apply for revocation of cancellation of such registration upto the 30th day of June, 2023;

(b) the application for revocation shall be filed only after furnishing the returns due upto the effective date of cancellation of registration and after payment of any amount due as tax, in terms of such returns, along with any amount payable towards interest, penalty and late fee in respect of the such returns;

(c) no further extension of time period for filing application for revocation of cancellation of registration shall be available in such cases.

Explanation: For the purposes of this notification, the person who has failed to apply for revocation of cancellation of registration within the time period specified in section 30 of the said Act includes a person whose appeal against the order of cancellation of registration or the order rejecting application for revocation of cancellation of registration under section 107 of the said Act has been rejected on the ground of failure to adhere to the time limit specified under sub-section (1) of section 30 of the said Act.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-12)1580)]

By the order of Governor of Bihar,

Dr. Pratima,

Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 412-571+10-डी0टी0पी0

Website: <http://egazette.bih.nic.in>

IndiaCode